



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 678 राँची, मंगलवार,

22 अक्टूबर, 2024 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

16 मार्च, 2024

विषय: DDO Level Bill Management System एवं Treasury Application में आधार प्रमाणीकरण हेतु आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा4(4)(b)(ii), एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम- 4 के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने के संबंध में ।

संख्या-45/UIDAI-136/2023- 778/वि---वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय कार्यों के लिए, IFMS अन्तर्गत विभिन्न Online Modules संचालित है। उक्त के तहत DDO Level Bill Management System के द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर ऑनलाईन विपत्र तैयार करने की सुविधा प्रदत्त है। इस Modules को उपयोग कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सभी प्रकार के विपत्रों को ऑनलाईन तैयार कर संबंधित कोषागार को भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है। Treasury Application के माध्यम से प्रत्येक कोषागार/उप कोषागार द्वारा विपत्रों का ऑनलाईन भुगतान, मासिक लेखा तैयार करना तथा महालेखाकार कार्यालय को A/Cसंबंधित प्रतिवेदन भेजने का कार्य किया जाता है ।

- 2- DDO Level Bill Management System एवं Treasury application अति महत्वपूर्ण वित्तीय applications हैं एवं इसमें संबद्ध पदाधिकारियों की हर स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही निर्धारित है। इन applications में आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था प्रारंभ करने से Bill processing की प्रक्रिया ज्यादा सुदृढ़ होगी एवं हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
- 3- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार को आधार प्रमाणीकरण शुल्क में इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि राज्य सरकार, संबंधित योजना को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम- 4 के अन्तर्गत राजपत्र में अधिसूचित करें।
- 4- आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा - 4(4)(b)(ii) निम्नवत् है - "Seeking authentication for such purpose, as the Central Government in consultation with the Authority, and in the interest of State may prescribe."
- 5- सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम- 4 निम्नवत् है -
- "प्रस्ताव तैयार करना- नियम-3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 6- ईलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 7673 दिनांक 30 मार्च 2022 की कंडिका '2' में यथा उल्लेखित है कि- Authentication transactions done by or on behalf of Central/State Government for respective purposes approved by Meity for Good Governance (Social Welfare, innovation, Knowledge) Rules, 2020 read under section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar Act-2016 is also be exempted subject to its notification by the respective Government.
- 7- उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आधार प्रमाणीकरण शुल्क में छूट के निमित्त DDO Level Bill Management System एवं Treasury Application को आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा- 4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत झारखण्ड के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।
- 8- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.02.2024 में मद संख्या-16 में इसकी स्वीकृति दी गयी है।

प्रशांत कुमार,
सरकार के सचिव।
